न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 140/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

सुखदेव राणा ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

कौशल्या देवी वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

06-11-24

प्रथम पक्ष सुखदेव राणा के आवेदन पर थाना प्रभारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन (ज्ञापांक 1965 दिनांक 10.09.2024) पर संतुष्ट होकर विवादगस्त जमीन :-

मौजा- बगोदर, थाना नं0- 107, खाता नं0- 224, प्लॉट नं0- 3636, रकबा- 02.50 डी0 जमीन, चौहद्दी उ0- पोखन गोप, द0- भगीया देवी, पू0- ईशाक मियां तथा प0- सुखदेव राणा

पर दिनांक 10.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त जमीन पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया। नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष प्रस्तुत किए।

प्रथम पक्ष के अनुसार विवादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है खतियान गनवा दुसाध के नाम पर दर्ज है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि केवाला सं0- 14319 दिनांक 04.07.1970 के द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि उनके दादा जुगल बढ़ही को प्राप्त हुआ। उनके दादा उक्त जमीन पर दखलकार हुए तथा अंचल कार्यालय के मांग पंजी-II के भाग सं.- 6(2) पृष्ठ सं.- 38 से लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। विवादग्रस्त जमीन के कुछ भाग पर प्रथम पक्ष का मकान बना हुआ है तथा खाली भाग लगभग 2.50 डी0 जमीन पर द्वितीय पक्ष जबरन दीवार बनाना चाह रहे है जो कि विवाद का कारण है। अपने दावे के समर्थन में प्रथम पक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते है :-

(1) केवाला की छायाप्रति;

(2) एक ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति;

(3) टाइटल सूट नं.- 722/1969 में पारित Decree की छायाप्रति;

आगे प्रथम पक्ष का कहना है कि माननीय अदालत मुंसिफ हजारीबाग में Title

Suit 722/1969 में पारित आदेश के आधार पर प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर कायम काबिज चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष फर्जी तरीके से केवाला के द्वारा भूमि खरीदे है जिसको लेकर original suit भी दाखिल किया गया है।

वही दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0- 03 को उक्त भूमि बजरिए खरीदगी केवाला- 844 दिनांक 22.01.2001 से प्राप्त है। द्वितीय पक्ष खरीदगी के उपरान्त अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है तथा दाखिल खारिज वाद सं.- 979/2005-06 के अनुसार अंचल कार्यालय के मांग पंजी-II के भाग नं0- 18 पृष्ठ नं0- 165 पर जमाबन्दी कायम है तथा लगातार राजस्व रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष के सदस्य सं.- 03 के द्वारा केवाला सं.- 2024/DUMR/836/BK1/781 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0- 01 को अंतरित किया गया है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते है :-

(1) केवाला सं.- 2024/DUMR/836/BK1/781 दिनांक 30.07.2024 की छायाप्रति;

(2) केवाला संख्या- 844 दिनांक 22.01.2001 की छायाप्रति;

(3) राजस्व रसीद की छायाप्रति;

(4) ऑनलाइन पंजी II की छायाप्रति;

अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक 700 दिनांक 13.09.2024) के अनुसार -

a) भूमि रैयती खाते की है तथा पंजी II के पृष्ठ सं.- 38 भोलुम नं.- 6 पर प्रथम पक्ष के दादा जुगल बढ़ई के नाम से कायम होकर लगान रसीद 2015-16 तक निर्गत है।

b) द्वितीय पक्ष के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष ने जिनसे जमीन की खरीदगी की है उनकी दादी सोमरी कान्दु के नाम से वासगीत पर्चा (43/73-74) से हासिल है। उक्त भूमि पर लगभग 7 फीट चहारदीवारी कर वर्त्तमान द्वितीय पक्ष को बिक्री किया गया है। इसी को लेकर दोनों पक्ष अपना - अपना दावा करते हैं।

उपरोक्त राजस्व कागजातों के अवलोकन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अवलोकन, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के अध्ययन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि वादग्रस्त भूमि पर उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न विवाद स्तत्व (Title) से जुडा है। प्रथम पक्ष के द्वारा स्वत्ववाद से संबंधित एक Decree की प्रति उपलब्ध कराई गई है परन्तु द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा अथवा प्रत्युत्तर में उक्त Decree के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया गया है। अंचल कार्यालय का प्रतिवेदन भी अस्पष्ट है जहाँ एक ओर द्वितीय पक्ष भूमि केवाला के माध्यम से हासिल होने की बात करते है वही दुसरी ओर अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन उक्त भूमि को वासगीत पर्चे से

हासिल होने की बात करता है। चुँकि भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत स्वत्व का विवेचन नहीं किया जा सकता है एवं द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के द्वारा हासिल Decree को नहीं मान रहे है ऐसे में उभय पक्ष को इस वाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय में Appropriate suit दाखिल करने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त वाद में किसी भी पक्ष के हित में कोई आदेश पारित किए बगैर वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

06-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

06-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.03 17:26:08 +05:30
Location: 192.168.1.2